परिशिष्ट-(ग) (256)

AGRICULTURAL TECHNOLOGY MANAGEMENT AGENCY (ATMA), NALANDA

नेशनल मिशन ऑन एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु काउन्सिलिंग उपरांत प्रकाशित ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति का निष्पादन

क्र0	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक	आवेदन सं0	आपत्ति दर्ज करने वाले अभ्यर्थि का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	कोटि	आपत्ति का विषय	निष्पादन
आवेदित पद : प्रखंड तकनीकी प्रबंधक								
1	130	BTM/0029661	Sarika kumari	Patha pandit	30-Jan-94	EBC	कार्य अनुभव में कमी पर आपत्ती	आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में कार्य अनुभव 2 वर्ष 11 माह 4 दिन संलग्न किया गया है। जबकि बी.टी.एम. पद के लिए बी.एस.सी. ए.जी के लिए न्युनतम कार्यअनुभव 3 वर्ष निर्धारित है। अतः इनके आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है एवं पूर्व की भाँति इनके आवेदन को रद्द किया जाता है।
2	43	BTM/0035057	PANKAJ KUMAR	RAM AWADH RAM	18-Aug-97	GEN	आवेदक से कम अंक वाले को बुलाया गया और इन्हें नहीं बुलाया गया	आवेदक श्री पंकज कुमार, पिता राम अवध राम के द्वारा सामान्य कोटि में आवेदन किया गया है। एवं सामान्य कोटि का कट–ऑफ 70.46 प्रतिशत है, जबकि आवेदक का अंक आवेदन के अनुसार 66.66 है। अतः इनके आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है।

ASSTT. DIRECTOR, HORTICULTURE
NALANDA

DIST. FISHRIES OFFICER
NALANDA

DIST. ANIMAL HUSBANDRY OFFICER
NALANDA

NOMINATED SC/ST MEMBER,
NALANDA

DISTRICT AGRICULTURE OFFICER
-cum-PROJECT DIRECTOR,
ATMA, NALANDA

D.D.C.
NALANDA

DISTRICT MAGISTRATE
NALANDA

3	17	BTM/0043307	ROHIT KUMAR PANDEY	SANTOSH KUMAR PANDEY	30-Aug-91	GEN	विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद का अनुभव प्रमाण पत्र को अस्वीकृति के बाद नया अनुभव प्रमाण पत्र के स्वीकृति के संबंध में	आवेदक रोहित कुमार पाण्डेय के द्वारा काउन्सिलिंग में प्रस्तुत कार्यअनुभव प्रमाण पत्र को आधार मानते हुए उनको निर्धारित अंक प्रदान किया गया है। पुनः इनके द्वारा नया कार्यअनुभव प्रमाण पत्र ई–मेल के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसको चयन समिति स्वीकार नहीं करती है एवं पूर्व के अनुसार प्रस्तुत प्रमाण पत्र को आधार मानते हुए इनके अंक की यथा स्थिति बरकार रखती है।
4	232	BTM/0037619	SUDHIR KUMAR	BASUDEO PRASAD	05-Jun-83	BC	दिव्यांग श्रेणी में अस्थि विकलांग का चयन पहले से बी.टी.एम. पद पर किया जा चुका है। इस बार दूसरी विकलांग श्रेणी को मौका देने की मांग	आवेदक श्री सुधीर कुमार के द्वारा दिव्यांग श्रेणी में काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु बार–बार परिवाद दायर किया गया है। प्राप्त नियुक्ति नियमावली के अनुसार संबंधित श्रेणी के पाँच उम्मीदवार को काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाना है। जबकि आवेदक का क्रमांक उनके श्रेणी में सातवीं वरीयता पर है। अतः इनको काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया जा सकता है। प्राप्त आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है।
आवेदित पद : सहायक तकनीकी प्रबंधक								
1	1823	ATM/0029347	AMRITA KUMARI	RAVINDRA PRASAD	03-Apr-98	BC	स्वतंत्रता सेनानी संबंधी आरक्षण का लाभ हेतु	आवेदक अमृता कुमारी के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी में काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु आपत्ति किया गया है। प्राप्त आवेदन के अनुसार इनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानी कोटि में आरक्षण की मांग नहीं की गयी है तदनुसार इनको संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अतः इनके द्वारा प्राप्त आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है।

ASSTT. DIRECTOR, HORTICULTURE
NALANDA

DIST. FISHRIES OFFICER
NALANDA

DIST. ANIMAL HUSBANDRY OFFICER
NALANDA

NOMINATED SC/ST MEMBER,
NALANDA

DISTRICT AGRICULTURE OFFICER
-cum-PROJECT DIRECTOR,
ATMA, NALANDA

D.D.C.
NALANDA

DISTRICT MAGISTRATE
NALANDA

2	125	ATM/0041797	PRAVIN KUMAR	DIVYA DIWAKAR	18-Feb-98	EWS-GEN	काउन्सिलिंग के समय कुल प्वाईट 71.70 था, फाईनल मेरिट में 70.64 अंकित है, जिसके सुधार हेतु	आवेदक प्रवीण कुमार के द्वारा फाईनल मेरिट लिस्ट में 70.64 प्रतिशत अंक को सुधारने हेतु आपत्ति दर्ज की गयी है। इनके द्वारा प्राप्त आपत्ति के उपरांत पुनः इनके मैट्रिक + इंटर + ग्रेडुएशन के मार्कस प्रतिशत का योग का औसत को प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया गया। अतः इनको मेरिट लिस्ट में दिये गये अंक में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।
3	115	ATM/0048292	AANCHAL SINGH	AKHILESH KUMAR SINGH	06-Jun-97	EWS-GEN	आवेदक अंचल सिंह (ATM/0048292) पिता अखिलेश कुमार सिंह का दोनों जिला नालन्दा एवं मधुबनी में स्नातक के मार्कस अलग–अलग (क्रमशः 85.51 एवं 84.68) हैं ?	परिवादी प्रवीण कुमार के द्वारा आवेदक अंचल सिंह को प्राप्त मेधा सूची में अंक प्रतिशत को लेकर आपत्ति दर्ज की गयी है। परिवादी के द्वारा साक्ष्य के रूप में आत्मा नालन्दा के द्वारा जारी मेधा सूची में 85.51 प्रतिशत मार्कस एवं आत्मा मधुबनी के जारी मेधा सूची में 84.68 प्रतिशत मार्कस के बारे ध्यान आकृष्ट किया गया है। आत्मा नालन्दा को काउन्सिलिंग के दौरान उपस्थापित दसवीं, बारहवीं एवं ग्रेजुऐशन के मार्कस का औसत को आधार मानते हुए प्राप्त मेधा सूची 85.51 प्रतिशत को सही माना गया है। चुकि आवेदक के द्वारा आत्मा मधुबनी को उपलब्ध कराये गये मूल दस्तावेज की सूची उपलब्ध नहीं है। अतः वहाँ के मेधा सूची में प्राप्त अंक की गणना पर किसी भी प्रकार का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

ASSTT. DIRECTOR, HORTICULTURE
NALANDA

DIST. FISHRIES OFFICER
NALANDA

DIST. ANIMAL HUSBANDRY OFFICER
NALANDA

NOMINATED SC/ST MEMBER,
NALANDA

DISTRICT AGRICULTURE OFFICER
-cum-PROJECT DIRECTOR,
ATMA, NALANDA

D.D.C.
NALANDA

DISTRICT MAGISTRATE
NALANDA

4	67	ATM/0062744	SAURABH RAJ	NAGESHWAR RAJAK	20-Sep-97	SC	मरिट लिस्ट के क्रमांक 38 पर अंचल सिंह (ATM/0048292) पिता अखिलेश कुमार सिंह का दोनो जिला नालन्दा एवं मधुबनी में स्नातक के मार्कस अलग–अलग (क्रमशः 85.51 एवं 84.68) हैं ?	परिवादी सौरभ राज के द्वारा आवेदक अंचल सिंह को प्राप्त मेधा सूची में अंक प्रतिशत को लेकर आपत्ति दर्ज की गयी है। परिवादी के द्वारा साक्ष्य के रूप में आत्मा नालन्दा के द्वारा जारी मेधा सूची में 85.51 प्रतिशत मार्कस एवं आत्मा मधुबनी के जारी मेधा सूची में 84.68 प्रतिशत मार्कस के बारे ध्यान आकृष्ट किया गया है। आत्मा नालन्दा को काउन्सिलिंग के दौरान उपस्थापित दसवीं, बारहवीं एवं ग्रेजुऐशन के मार्कस का औसत को आधार मानते हुए प्राप्त मेधा सूची 85.51 प्रतिशत को सही माना गया है। चुकि आवेदक के द्वारा आत्मा मधुबनी को उपलब्ध कराये गये मूल दस्तावेज की सूची उपलब्ध नहीं है। अतः वहाँ के मेधा सूची में प्राप्त अंक की गणना पर किसी भी प्रकार का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

ASSTT. DIRECTOR, HORTICULTURE
NALANDA

DIST. FISHRIES OFFICER
NALANDA

DIST. ANIMAL HUSBANDRY OFFICER
NALANDA

NOMINATED SC/ST MEMBER,
NALANDA

DISTRICT AGRICULTURE OFFICER
-cum-PROJECT DIRECTOR,
ATMA, NALANDA

D.D.C.
NALANDA

DISTRICT MAGISTRATE
NALANDA

252

5	54	ATM/0041959	Badal Raj	Sanjay Kumar	15-Aug-98	BC	The list that is published by ATMA, Nalanda I have some issues related to councelling list No. 22, 48, 90 got less marks then cot-off for first round after the councelling. So it's a kind resuest from my side to disqualify these candidate for this first round so candidate having more marks can get chance after this round	परिवादी बादल राज के द्वारा आत्मा नालन्दा के प्रकाशित मेधा सूची के संदर्भ में क्रमांक 22,48,90 से संदर्भित आपत्ति दर्ज की गयी है। परिवादी के द्वारा क्रमांक 90 के अभ्यर्थी कुमारी सोनी चौधरी के आवेदन में प्राप्त क्रमांक 69.05 प्रतिशत एवं काउन्सिलिंग में प्राप्त क्रमांक 62.72 को आधार बनाते हुए मांग की गयी कि इनका मार्कस कम होने के कारण यह काउन्सिलिंग के लिए योग्य नहीं है। जबकि आवेदक के लिए उनके श्रेणी में कट–ऑफ 63.83 प्रतिशत निर्धारित है। जो उनके काउन्सिलिंग में प्राप्त मार्कस से कम है। अतः इनके अभ्यर्थीत्व को रद्द किया जाता है। पुनः परिवादी के द्वारा क्रमांक 48 के अभ्यर्थी बलबीर कुमार वर्मा के आवेदन में प्राप्त क्रमांक 73.55 प्रतिशत एवं काउन्सिलिंग में प्राप्त क्रमांक 73.22 को आधार बनाते हुए मांग की गयी कि इनका मार्कस कम होने के कारण यह काउन्सिलिंग के लिए योग्य नहीं है। जबकि आवेदक के लिए उनके श्रेणी में कट–ऑफ 73.55 प्रतिशत निर्धारित है। जो उनके काउन्सिलिंग में प्राप्त मार्कस से कम है। अतः इनके अभ्यर्थीत्व को रद्द किया जाता है। पुनः परिवादी के द्वारा क्रमांक 22 के अभ्यर्थी रणवीर कुमार के आवेदन में प्राप्त क्रमांक 74.43 प्रतिशत एवं काउन्सिलिंग में प्राप्त क्रमांक 73.67 को आधार बनाते हुए मांग की गयी कि इनका मार्कस कम होने के कारण यह काउन्सिलिंग के लिए योग्य नहीं है। जबकि आवेदक के लिए उनके श्रेणी में कट–ऑफ 73.55 प्रतिशत निर्धारित है। जो उनके काउन्सिलिंग में प्राप्त मार्कस से कम है। चुकि काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके आवेदन में निर्धारित मार्कस के आधार पर किया गया है एवं काउन्सिलिंग में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मेधा क्रमांक में प्राप्त मार्कस को आधार बनाया गया है। अतः काउन्सिलिंग के दौरान निर्धारित मार्कस के आधार पर वरीयता सूची का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार परिवादी का आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है।

Rajesh
ASSTT. DIRECTOR, HORTICULTURE
NALANDA

DIST. FISHRIES OFFICER
NALANDA

DIST. ANIMAL HUSBANDRY OFFICER
NALANDA

NOMINATED SC/ST MEMBER,
NALANDA

DISTRICT AGRICULTURE OFFICER
-cum-PROJECT DIRECTOR,
ATMA, NALANDA

D.D.C.
NALANDA

DISTRICT MAGISTRATE
NALANDA